न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

बईजलास –कुमार पाल गौतम,जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

भरण पोषण अपील संख्या 83 / 2018

अपीलांट	बनाम	रेस्पोंडेन्ट्स
मेहराम पुत्र चेनाराम जाति जाट निवासी ताडावास तहसील खींवसर जिला नागौर		1. मोहनी पुत्री मेहराम पत्नि सेवाराम जाति जाट निवासी ताडावास तहसील खींवसर पुलिस थाना खींवसर जिला नागौर 2. सन्तोष पुत्री मेहराम पत्नि रामरतन निवासी भाकरोद जिला नागौर

निर्णय दिनांक 15-10-2018

यह अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट खींवसर द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत दर्ज प्रकरण संख्या–1 / 2017 मेहराम बनाम मोहनी में पारित निर्णय दिनांक 14.02.2018 से व्यथित होकर दिनांक 02.07.2018 को यह अपील पेश की है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

मयाद की अपील मयाद बाहर है। यद्यपि अपीलान्ट द्वारा विलम्ब क्षम्य हेतु मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। परन्तु अपीलान्ट के निवेदन पर मयाद के बिन्दु पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण को सुना गया। अपीलान्ट ने कथन किया कि अपीलान्ट अनपढ़ एवं वृद्ध व्यक्ति है, उसे ज्यादा कानून की जानकारी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में बहुत कम राशि का देने का निर्णय पारित किया गया है। उक्त राशि से अपीलान्ट का भरण पोषण संभव नहीं है। अपीलान्ट को यह जानकारी होने पर की वह यदि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सन्तुष्ठ नहीं है, तो अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट महोदय नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है, यह जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा निर्णय जैर अपील की प्रति प्राप्त कर कूननी राय प्राप्त कर दिनांक 2.7.2018 को यह अपील पेश की है। इसलिए अपीलान्ट की प्रार्थना पत्र सहानूभूतिपूर्वक विचार कर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्टगण ने अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ अपीलान्ट की अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट मयाद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया। वकुलाय की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट वृद्ध एवं अनपढ़ व्यक्ति है। अपीलान्ट द्वारा बहस में किये गये कथनों पर विश्वास करते हुऐ एवं न्यायहित में हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की गुणावगुण के आधार पर सुनवाई की जाकर प्रकरण का मेरिट पर निर्णय किया जाना उचित है। इसलिए अपीलान्ट की अपील की मैरिट पर सुनवाई की गई।

अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अधिनस्थ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि उसके कोई पुत्र नहीं है उसके मात्र दो पुत्रियां है मेरी पुत्रियां मेरी सेवा चाकरी नहीं करते है मुझे विश्वास में लेकर मेरी सारी सम्पति मेरी पुत्रियां व दामाद ने अपने नाम करवा ली है

इसलिए मेरे व मेरी पत्नि के पास किसी प्रकार की आजीविका का साधन नहीं बचा है वृद्धावस्था व बीमारी के कारण खाने कमाने में भी हम सक्षम नहीं है मेरी वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाकर मेरी पुत्री व दामाद ने मुझे घर से निकाल कर बेघर कर दिया है इसलिए भरण पोषण देने हेतु उनको पाबंद किया जावें।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.02.2018 को प्रकरण का निस्तारण करते हुए रेस्पोडेन्टान मोहनी व सन्तोष को 750–750 रू कुल 1500 रूपये प्रतिमाह अपीलांट को देने का आदेश दिया तथा उक्त राशि अपीलांट मेहराम के बैंक खाता संख्या 61283017585 में जमा कराने का आदेश दिया। उक्त आदेश में आदेशित राशि अत्यन्त कम है जिससे अपीलांट का भरण पोषण, बीमारी के ईलाज दवाईयों आदि के लिए उक्त राशि अपर्याप्त है इसलिए इस हद तक उक्त आदेश से व्यथित होकर राशि बढा कर प्रतिमाह 5000 रूपये अपीलांट को दिलाने हेतु यह अपील पेश की है।

अपीलांट अत्यन्त वृद्ध बीमार व्यक्ति है उसकी सम्पति रेस्पोडेन्टान व उनके पतियों ने ले ली है इसलिए अपीलांट की भूखो मरने की नौबत आ गयी है अधिनस्थ न्यायालय ने जो राशि निर्धारित की है वह मात्र 1500 रू प्रतिमाह है इस मंहगाई के जमाने में प्रतिमाह 1500 रूपये में भरण पोषण, दैनिक आवश्यकता की पूर्ति व ईलाज दवाईयो के लिए अत्यन्त कम है इसलिए आदेश को इस हद तक संशोधित करते हुए प्रतिमाह 5000 रू से अपीलांट को भरण पोषण चिकित्सा व्यय, आवास निवास हेतु देने का आदेश रेस्पोडेन्ट्स को दिया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

अपीलांट के कोई पुत्र संतान नहीं होने व अपीलांट की तमाम सम्पति रेस्पोडेन्टान वगैरा ने लेकर अपीलांट को बेघर कर दिया है इसलिए उसके आवास निवास की भी विकट समस्या बनी हुई है। अपीलांट बीमार रहता है हर समय दवाईयां लेनी पडती है आय के कोई स्त्रोत नहीं है ऐसे में 1500 रू प्रतिमाह में भरण पोषण, आवास, निवास दवाई, चिकित्सा व्यय की पूर्ति होना किसी भी सुरत में संभव नहीं है। अपीलांट के साथ उनकी पुत्रीयों व दामाद ने धोखा किया है अपीलांट का जीवन बसर करना मुश्किल हो गया है न्याय हित में आदेश में संशोधन कर राशि बढाई जाना आवश्यक है क्योंकि रेस्पोडेन्टान के पास अच्छी कृषि भूमि, पशुपालन व सम्पतियां है जिससे प्रतिमाह 5000–5000 रू देने में सक्षम है तथा यह उनका विधिक व नैतिक दायित्व भी बनता है का कथन करते हुए अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश में आवश्यक संशोधन करते हुए उक्त अपीलांट व उसकी पत्नि के भरण पोषण, आवास निवास, चिकित्सा व्यय के रूप में प्रतिमाह 5000रू रेस्पोडेन्ट द्वारा भुगतान करवाये जाने का आदेश देकर अपीलांट को राहत प्रदान कराने तथा इस हेतु रेस्पोडेन्ट्स को पांबद किये जाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त अपील सरासर गलत तथ्यों पर आधारित पेश की है तथा वास्तविक तथ्य माननीय न्यायालय से छुपाये है तथा अपील के प्रारम्भ में अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अधिनस्थ न्यायालय में पेश करने व उक्त आवेदन में दर्ज तथ्यों का विवरण दिया है मगर जानबूझकर उक्त आवेदन का जवाब जो अधिनस्थ न्यायालय में पेश कर वस्तु स्थिति स्पष्ट की गई थी, उसका विवरण इन तथ्यों में अपीलांट ने दर्ज नहीं किया है व सलाह मशविरा करके आधे अधूरे तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकट किये है अपनी गलती व कर्तव्यों की पालना व अन्य दायित्वों के निर्वहन आदि के संबंध में तथ्य छुपाये गये है इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तथ्य माने जाने योग्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.02.2018 को प्रकरण का निस्तारण करते हुए

रेसपोडेन्टान मोहनी व सन्तोष को 750–750 रू कुल 1500 रू प्रतिमाह अपीलांट को देने का आदेश दिये जाने के तथ्यों से कोई विरोध नहीं है हालांकि उक्त आदेश भी रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध गलत तौर से पारित किया गया था रेस्पोडेन्ट्स कोई भी राशि अदायगी के लिए उतरदायी नहीं है मगर फिर भी चूंकि अपीलांट उनका पिता है अपीलांट शुरू से ही शराबी प्रवृति, जुआ सट्टा आदि गलत आदत से लाचार रहा है इसके बावजूद लोकलाज व आदर स्वरूप रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोहनी जो कि बडी पुत्री है अपने पिता व माता के भरण पोषण की व्यवस्था करती आई है समय समय पर खर्चा देती लेकिन उक्त खर्चे की राशि भी अपीलांट अपनी गलत आदतों में उडा देता व अपनी पत्नी के प्रति दायित्वों का निर्वहन भी नहीं करता जिस कारण अपनी माता का भी भरण पोषण अप्रार्थी संख्या 1 ही करती आई है।

अपील के अनुच्छेद संख्या 1 में अपीलांट ने जो तथ्य दर्ज किये है वे सम्पूर्ण सही नहीं होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि अपीलांट अत्यन्त वृद्ध बीमार व्यक्ति हो। जबकि अपीलांट वृद्ध अवश्यक है लेकिन अत्यंत वृद्ध नही है, बीमार नहीं है तन्दुरूस्त हालात में है काम धंधा करने योग्य है इसके बावजूद कोई काम धंधा नहीं कर केवल मात्र शराबी प्रवृति के लोगो के साथ रहता है तथा ईधर उधर से रूपये लेकर व रेस्पोडेन्ट्स को गालिया निकाल कर तंग परेशान कर रूपये लेकर उनको शराब की लत व जुआ सट्टा में उडा देता है तथा अपनी पत्नी भंवरीदेवी के प्रति उत्पन्न दायित्वों का जानबूझकर निर्वहन नहीं कर उसको पूरी तरह से नेगलेट कर रखा है। यह गलत है कि अपीलांट की कोई सम्पति रेस्पोडेन्टान व उनके पतियों ने ले ली हो। जबकि अपीलांट की कोई भी सम्पति रेस्पोडेन्ट ने नहीं ली है न ही अपीलांट की भूखो मरने की नौबत आई है अपीलांट के पास लाखो रूपयो की सम्पति थी लेकिन अपनी उक्त शराबखौरी व जुआ सट्टा आदि की लत में सम्पूर्ण सम्पतियों को बेचान, हस्तान्तरण कर दिया है तथा शराब पिलाने वाले व जुआ सट्टा खिलाफ वाले लोग एंव भूमाफियों ने अपीलांट की इस स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर कौडियों के भाव सम्पतियां खरीद ली है। इस संबंध में यहां यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि पुश्तैनी सम्पति खसरा नम्बर 495 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा बाडा जो कि रेस्पोडेन्ट्स के दादा का था व दादा के देहान्त के पश्चात् अपीलांट अकेले के नाम दर्ज हुआ हालांकि उसमें रेस्पोडेन्ट्स का भी कानूनन हक हिस्सा था इसके बावजूद अपीलांट ने अकेले ने उक्त सम्पूर्ण बाडा जो कि करीब 10 लाख रूपयों का है उसे बहुत कम रूपयों में महिपाल पुत्र चोलाराम जाट को बेचान कर दिया व उसने अपने नाम नामान्तरकरण भी करवा लिया व जो भी राशि प्राप्त की उसे शराब व जुआ की लत में पूरी कर दी, अपीलांट के इस कथन के समर्थन में खसरा नम्बर 495 की खतौनी साथ पेश है।

इसी प्रकार एक अन्य पुश्तेनी सम्पति खेत खसरा नम्बर 450 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा वाके मौजा ताडावास जो कि रेस्पोडेन्ट्स के दादा से प्राप्त सम्पति है लेकिन दादा के स्वर्गवास के पश्चात् अकेले अपीलांट के नाम दर्ज हो गया व अपीलांट ने अपनी नशा की लत पुरी करने के लिए इस भूमि को भी कौडियों के भाव देवाराम पुत्र किशनाराम जाट निवासी ताडावास को दिनांक 04.01.2011 को कर दिया व उप पंजीयक कार्यालय में खींवसर में विक्रय पत्र निष्पादित कर पंजियन करवा दिया जिसकी फोटो प्रति भी साथ पेश की है, जिसमें बेचान प्रतिफल की राशि मात्र 5000रू दर्ज है जबकि यह भूमि कम से कम 10 लाख रूपये की बाजारू कीमत की है इस प्रकार अपीलांट ने लाखो रूपयों की पुश्तैनी सम्पति को अपनी नशा व जुआ सट्टा की लत को पूरा करने के लिए बेचान कर रूपये उडा दिये व अपनी पुत्रीयों व पत्नि के प्रति उत्पन्न दायित्वों, सामाजिक उत्तरदायित्वों का कभी किसी प्रकार से निर्वहन नहीं किया। अपीलांट की शुरू से ही

ऐसी लत रही है इसलिए रेस्पोडेन्ट्स की माता भंवरीदेवी ने लोगो से कर्जा लेकर रेस्पोडेन्ट्स अपनी दोनो पुत्रीयों की परवरीश कर पालपोश कर बडा किया तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विवाह योग्य होने पर अपीलांट की पत्नी भंवरी व अपीलांट के पिता चेनाराम जो कि रेस्पोडेन्ट के दादा है उन्होने विवाह किया तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट के दादा का स्वर्गवास हो गया व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 संतोष विवाह योग्य होने पर उसका विवाह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अपीलांट की पत्नी भंवरीदेवी ने कर्जा लेकर किया जिसमें अपीलांट ने एक पैसा भी नहीं दिया उल्टा विवाह में टंटा फिसाद कर रेस्पोडेन्ट्स व अपीलांट की पत्नी को नाजायज तंग परेशान किया गया। इस प्रकार अपीलांट की आदत, हालात व सम्पतियों के संबंध में सारा विवरण माननीय न्यायालय के समक्ष स्पष्ट है ऐसी सुरत में अपीलांट अपनी पुत्रीयों से किसी प्रकार का कोई खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है न तो सामाजिक दृष्टि से यह उचित है न ही धार्मिक न ही अन्य किसी दृष्टि से उचित है इसके बावजूद भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में 1500रू अपीलांट को रेस्पोडेन्ट द्वारा दिये जा रहे है एक पिता अपनी पुत्रीयों के प्रति दायित्वों का निर्वहन नही कर बार बार झुठी मुकदमेबाजी कर समाज, गांव परिवार में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल कर रहा है इतना ही नहीं आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश कर पुनः रेस्पोडेन्ट्स को शर्मसार व नाजायज तंग परेशान किया है अपनी पुत्रीयों के प्रति दायित्वों का वर्णन आवेदन व अपील में किया है जबकि अपने दायित्वों के संबंध में कोई भी तथ्य दर्ज नहीं किया है अपीलांट का यह विधिक एंव नैतिक दायित्व था व है कि अपनी पत्नी भंवरीदेवी जो कि वृद्ध बीमार महिला है उसका भरण पोषण करे लेकिन इस संबंध में अपीलांट बिल्कुल उदासीन है अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के बजाय टंटा फिसाद, मारपीट आदि करता है व पुत्रीयों एंव पत्नी को शराब पीकर मांसकारी गालिया निकालता है जिनका शब्दो में वर्णन करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील हाजा खारिज किये जाने योग्य है। आदेश संशोधित कर प्रतिमाह 5000रू करवाने का अपीलांट न तो अधिकारी है न ही रेस्पोडेन्ट ऐसी राशि देने में सक्षम है न रेस्पोडेन्ट का ऐसा दायित्व बनता है। इन परिस्थितियों में अपील खारिज कर अपीलांट को न्यायहित में निर्देशित किया जावे कि शराब व जुआ सट्टा की लत छोड कर काम धंधा कर अपनी वृद्ध व बीमार पत्नी का भरण पोषण करे व रेस्पोडेन्ट्स को नाजायज तंग परेशान नहीं करे।

अपील के पैरा संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है अपीलांट की कोई सम्पति रेस्पोडेन्टान वगैरा ने नहीं ली है झुठा आरोप लगाया है किस प्रकार अपीलांट की सम्पति ली है इसका कोई विवरण दर्ज नही किया है न ही अपीलांट को बेघर किया है अपीलांट का रेस्पोडेन्ट सदैव आदर सत्कार करती रही है व अपीलांट पिता को जैसी दालरोटी रेस्पोडेन्ट व उनके परिवार वाले खाते है वैसी अपने पिता को खिलाने के लिए तैयार थी व है इसके बावजूद लोगो की सिखावट में आकर झूठी मुकदमेबाजी कर रहा है। अपील का पैरा संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि अपीलांट बीमार रहता है हर समय दवाईयां लेनी पडती है अपीलांट के क्या बीमारी है, कौनसी दवाई लेता है इस बारे में न तो कोई डॉक्टरी रिपोर्ट, चिकित्सीय प्रमाण है न दवाईयों के बिल है दवाईयों के नाम पर शराब के लिए रूपये चाहिए जो कि उसकी लत व उक्त आदत को पूरा करने के लिए आवश्यक है तथा इसी कारण ऐसे बनावटी व बिना आधार के तथ्य दर्ज किये है। अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट को इतना तंग परेशान किया है व रेस्पोडेन्ट की माता को भी तंग परेशान किया है लेकिन पिता होने से रेस्पोडेन्ट ऐसी घटना का विवरण दर्ज करना उचित नहीं समझती है। अपील का पैरा संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है। अपीलांट के साथ उनकी पुत्रीयों व दामाद ने कभी भी किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं किया है बल्कि धोखाधडी, अवैध कृत्य तो

अपीलांट ने किया है जो जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित है पुश्तैनी सम्पति को गैर कानूनी रूप से अपने हक हिस्से से अधिक का बेचान कर राशि नशा व जुआ की लत में उडाई है। ऐसी स्थिति में आदेश में संशोधन कर राशि बढाई जाना कतई विधि सम्मत नहीं है। यह गलत है कि रेस्पोडेन्टान के पास अच्छी कृषि भूमि, पशुपालन व सम्पतियां हो जिससे प्रतिमाह 5000–5000रू देने में सक्षम हो तथा यह उनका विधिक व नैतिक दायित्व भी बनता है। रेस्पोडेन्ट्स के कोई आय का स्त्रोत नहीं है न ऐसी राशि अपने पिता को देने में समर्थ है। अपीलांट स्वंय अपने विधिक व नैतिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है। इसलिए पुत्रीयों को उनके विधिक व नैतिक दायित्व बताने का अपीलांट को कोई अधिकार नहीं है अपील खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए अपील अपीलांट मय खर्चा हर्जा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी एक वृद्ध व्यक्ति है, उसके कोई जायन्दा पुत्र सन्तान नहीं होकर मात्र दो पुत्रियां रेस्पोडेन्ट मोहनी एवं सन्तोष है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी मेहराम के भरण पोषण का दायित्व उसकी दोनों पुत्रियों का बनता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वसियतनामा दिनांक 25.6.97 के अनुसार अपीलान्ट के पिता चैनाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी स्व अर्जित कृषि भूमि की वसियत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोहनी के पक्ष में निष्पादित की गई है, जो की अपीलान्ट की पुत्री है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के भरण पोषण हेतु अपीलान्ट की दोनों पुत्रियों रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोहनी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सन्तोष को उक्त अधिनियम 2007 के तहत 750–750रूपये अक्षरे सात सो पचास रूपये प्रत्येक द्वारा प्रतिमाह अपीलान्ट मेहराम के बैक खाता संख्या 61283017585 में जमा करवाने का आदेश दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के भरण पोषण हेतु निर्धारित राशि युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलान्ट के भरण पोषण हेतु उक्त राशि बढ़ाया जाना उचित है। उक्त वसियतनामा अनुसार अपीलान्ट के पिता द्वारा कृषि भूमि की वसियत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोहनी के पक्ष में निस्पादित की गई है, इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोहनी का अपने पिता अपीलान्ट का भरण पोषण का दायित्व अधिक रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोहनी द्वारा अपीलान्ट मेहराम के बैंक खाता संख्या 61283017585 में 750/–(अक्षरे सात सौ पचास रूपये) प्रतिमाह जमा करवाने के आदेश दिये गये है, के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोहनी को अपीलान्ट मेहराम के बैंक खाता संख्या 61283017585 में 1250/– (अक्षरे एक हजार दो सो पचास रूपये) प्रतिमाह जमा करवाने का आदेश दिया जाता है। यह आदेश इस माह की प्रथम तारीख से प्रभावी रहेगा। अधिनस्थ न्यायालय का शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए आदेश की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला मजिस्ट्रेट, नागौर